



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

फा. सं.: GCCO/II/3/21/2025-ADMN

स्थापना आदेश सं. : 14/2025

दिनांक : 06.05.2025

सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन द्वारा फा.सं. II-31(86)CCU/JZ/2025 दिनांक 24.04.2025 के अंतर्गत जारी ज्ञापनों की अनुपालना में कार्यकारी सहायक के पद पर अनंतिम आधार पर अधिकारियों की नव नियुक्ति के फलस्वरूप, कार्यकारी सहायक श्रेणी में निम्नानुसार आवंटन/ पदस्थापना आदेश तत्काल प्रभाव से और अग्रिम आदेशों तक जारी किये जाते हैं:-

| Sl. No. | Name of the Officer (Ms/Shri) | DOB | From | To |
|---------|-------------------------------|------------|------------|--------------|
| 1 | Akash Kumar | 15.04.2002 | On joining | CGST Udaipur |
| 2 | Divya Kanwar | 21.11.2000 | On joining | Customs |

2. उपरोक्त अधिकारियों को दिनांक 06.05.2025 (अपराह्न) में कार्यमुक्त कर निर्देश दिए जाते हैं की वे अपने नाम के सम्मुख दर्शाए गए आयुक्तालय में कार्यग्रहण करें।

3. चूँकि यह आवंटन नवनियुक्ति पर किए जा रहे हैं, अतः उपरोक्त अधिकारियों को कोई स्थानान्तरण भत्ता एवं कार्यग्रहण अवधिदेय नहीं होगी।

यह आदेश मुख्य आयुक्त की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

(निष्ठा शर्मा)
संयुक्त आयुक्त

प्रतिसूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु. उदयपुर सीमा शुल्क (निवारक), जोधपुर।
2. वेतन एवं लेखाधिकारी, सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
3. संबंधित अधिकारी।
4. गार्डफ़ाइल/ नोटिसबोर्ड
5. वेबमास्टर - जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।